


20.12.2024:- पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपस लोक अलादत की भावना से राजीनामा हो गया। इसलिए इसी स्तर पर बादपत्र विद्वा करवाना चाहते है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की प्रतिवादी अधिवक्ता श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर no objection किया वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री दलीप सारस्वत द्वारा कि गई। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विद्वा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

